न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 242/2023

अनवान : –

1. माया पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. भागीराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. साजन पुत्र भागीराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. बिमला पुत्री भागीराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. मीरा पुत्री भागीराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. नितेश पुत्री भागीराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 06/05/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 90/76 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल का जन्मजात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गयी। उक्त भूमि में गैरसायल संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, गैरसायल संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, सायला व गैरसायल संख्या 4 ता 5 तीनों का बहिब 1/4 हिस्सा भमि के खातेदार काश्ताकर है लेकिन उक्त समस्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल संख्या 1 जो की प्रार्थीया का ससुर है उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहता है अगर गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए सायला, गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने की अधिकारी है कि गैरसायल संख्या 1 वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 90/76 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:43 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का [illegible] भूमि वर्तमान में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है सायल, गैरसायल संख्या 1 के जीवनकाल में उक्त प्रार्थ[illegible] व दावा लाने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की अधिकारी नही है। गैरसायल संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्मजात हक हिस्सा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि उक्त वाद भूमि में सायला जो की गैरसायल संख्या 1 की पुत्रवधु है हक हिस्सा लेना चाहती है लेकिन उक्त वाद भूमि सायला की दादालाई भूमि नही है अतः सायला ने उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित कर जारी करवा लिया है जो की खारिज योग्य है।

उक्त विचेनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थीया की दादालाई कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थीया का हक हिस्सा है लेकिन वाद भूमि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया की दादालाई कृषि भूमि होना साबित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है न प्रार्थीया के, जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर दिनांक 27.09.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:43 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर